

**बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
संकल्प**

पटना, दिनांक...../

संचिका सं०-3/आ०1-81/2026-...../ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-1758 दिनांक-10.05.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती मरजीना खातून, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी, सम्प्रति-निलंबित के द्वारा बच्चों से टी.सी. प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अवैध राशि लिये जाने से संबंधित वायरल वीडियो की स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि श्रीमती खातून द्वारा अपने आवास से ही कार्यालय का संचालन किया जाता है। छात्रों द्वारा दिये गये बयान एवं अभिभावकों के शिकायत के आधार पर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अवैध राशि लेने की पुष्टि होने के संदर्भ में श्रीमती मरजीना खातून, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी (अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था के तहत बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) का उच्चतर प्रभार प्राप्त) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) के प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प सं०-419116 दिनांक-18.05.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

2. श्रीमती खातून के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17/19 के तहत उनसे बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्रीमती खातून से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी जिसमें यह ज्ञात होता है कि श्रीमती खातून के विरुद्ध बच्चों से टी.सी. प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अवैध राशि लिये जाने का आरोप प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित पाया गया है। अतएव श्रीमती खातून के लिखित बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए आरोपों का वृहत जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः श्रीमती मरजीना खातून, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध आरोपों के वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें श्री विजय कुमार, अपर सचिव,

शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. संचालन पदाधिकारी निर्धारित तीन माह के अंदर विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए विभागीय कार्यवाही सम्पन्न कर विहित प्रपत्र में अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प अनुबंध, आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका की प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी तथा आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक:-3/आ01-81/2026.1/496360

पटना, दिनांक 08/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि.को.), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/श्री विजय कुमार, अपर सचिव, शिक्षा विभाग-सह-संचालन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी-सह-उपस्थापन पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं श्रीमती मरजीना खातुन, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी, सम्प्रति निलंबित (निलंबन मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)